

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-८डी(बजट-आवंटन 2251)-12-03/2026- 10

प्रेषक,

सरकार के सचिव

श्रीवा में,

अवर सचिव,

सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक-21/04/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित स्थापना हेतु "मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय- सामाजिक सेवार्य-090 सचिवालय -0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत प्रथम चार माह के लिए कुल ₹3,84,15,300/- (तीन करोड़ चौरासी लाख पंद्रह हजार तीन सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

गहाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मांग संख्या-44 'मुख्य शीर्ष 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवार्य-090 सचिवालय(मांग सं० 44)-0023- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक उपबंध के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-ब-15/बी०एस०जी०-८१/2026-236/वि० दिनांक 09.03.2026 के निहित शर्तों के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए ईकाई के सम्मुख कंडिका-4 में अंकित राशि प्रथम चार माह के व्यय के लिए आवंटित की जाती है।

क्रमांक	कूट संख्या एवं इकाई	बजट उपबंध 2026-27	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित राशि
1	2	3	4
1	0023.0101 वेतन	4,07,29,000	1,34,40,570
2	0023.0103 जीवन यापन भत्ता	2,64,74,000	87,36,420
3	0023.0104 मकान किराया भत्ता	77,20,000	25,47,600
4	0023.0105 परिवहन भत्ता	26,94,000	8,89,020
5	0023.0106 चिकित्सा भत्ता	5,52,000	1,82,160
6	0023.0107 अन्य भत्ता	85,000	28,050
	योग-44-2251.00.090.0023.01-वेतन	7,82,54,000	2,58,23,820
7	0023.0501 पुरस्कार	6,000	1,980
8	0023.0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20,00,000	6,60,000
9	0023.1101 यात्रा व्यय	11,00,000	3,63,000
10	0023.1301 कार्यालय व्यय	50,00,000	16,50,000
11	0023.1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	25,00,000	8,25,000
12	0023.1303 दूरभाष	2,50,000	82,500
13	0023.1305 विधि प्रसार	1,50,000	49,500
14	0023.1310 गाड़े की गाड़ी का भुगतान	45,00,000	14,85,000
15	0023.2001 आतिथ्य व्यय	50,000	16,500
16	0023.2802 सविदा सेवार्य	2,25,00,000	74,25,000
17	0023.2003 प्रशिक्षण व्यय	1,00,000	33,000
18	0023.5101 मोटर गाड़ी-कार्यालय	1,000	0
	कुल योग:-	11,64,11,000	3,84,15,300

(तीन करोड़ चौरासी लाख पंद्रह हजार तीन सौ मात्र)

2. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र सं 2561 दि० 17.04.98 तथा वित्त विभाग के पत्रांक- 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

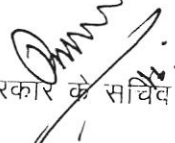
3. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत "मुख्य शीर्ष "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-090 सचिवालय(मांग सं० 44)-0023-अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के प्राथमिक इकाईयों- 0023.0101-वेतन, 0023.0103-जीवन यापन भत्ता, 0023.0104-मकान किराया भत्ता, 0023.0105-परिवहन भत्ता, 0023.0106-चिकित्सा भत्ता, 0023.0107-अन्य भत्ता, 0023.0501- पुरस्कार, 0023.0601-चिकित्सा प्रतिपूति, 0023.1101-यात्रा भत्ता, 0023.1301-कार्यालय व्यय, 0023.1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, 0023.1303-दूरभाष, 0023.1305-विधि प्रभार, 0023.1310-भाड़े की गाड़ी का भुगतान, 0023.2001-आतिथ्य व्यय, 0023.2003-प्रशिक्षण व्यय एवं 0023.2802- संविदा सेवायें विपत्र कोड-44-2251000900023 में विकलनीय होगा।

4- आवंटित राशि के विरुद्ध किये गये व्यय का प्रतिवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।

5- आवंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दि० 31.03.2027 तक निश्चित रूप से बजट प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 8डी(बजट-आवंटन 2251)-12-03/2026 10 पटना, दिनांक 21/04/2026
प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ उप सचिव/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदा० 1जी०/8डी०/07 जी० (लेखा शाखा), (दोहरी प्रति में).अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव ।